

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 41/2016

दिनांक : 24.08.2016

1. रामस्वरूप पुत्र हरचंद जाति जाट साकिन सवाई छानी तहसील भादरा।

– अपीलांत

बनाम्

1. मांगेराम पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी सवाई छानी तहसील भादरा।
2. कृष्ण पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी सवाई छानी तहसील भादरा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भादरा।

– असल रेस्पोंडेन्ट

4. मुन्शीराम पुत्र हरचन्द जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
5. सुरज कौर पुत्री लिछमण जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
6. कमला पुत्री लिछमण जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
7. बिमला पुत्री लिछमण जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
8. सुनील पुत्र जमना पुत्री लिछमण जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
9. सुन्दर पुत्री जमना पुत्री लिछमण जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
10. ईश्वर पुत्र लिछमण जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
11. पप्पु पुत्र लिछमण जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
12. कैलाश पुत्री अमरसिंह जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
13. रामेश्वर पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
14. महावीर पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
15. छोटुराम पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
16. मैनपाल पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
17. सुमित्रा पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
18. विनोद पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
19. सरबती पुत्री हरकौरी पुत्री पेमाराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
20. भंवरसिंह पुत्र हरकौरी पुत्री पेमाराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

21. कृष्ण पुत्र हरकौरी पुत्री पेमाराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
22. गुडी पुत्री हरकौरी पुत्री पेमाराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
23. वीरसिंह पुत्री हरकौरी पुत्री पेमाराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
24. बाधो पुत्री रेशमा पुत्री पेमाराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।
25. कैलाश पुत्र रेशमा पुत्री पेमाराम जाति जाट साकिन छानी तहसील भादरा।

—तरतीबी रेसपो.

अपील विरुद्ध इंतकाल सं. 592 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित:— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अधिवक्ता, अपीलांत
श्री महेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, रेसपो.
श्री सत्यप्रकाश, अधिवक्ता रेसपो. सं. 4।

निर्णय

दिनांक:— 08.05.2018

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है:—

1. यह कि अपीलाधीन इंतकाल सं. 592 दिनांक 29.10.2009 रोही मौजा 10 जेएसएल विधि विरुद्ध एवं गैर कानूनी ढंग से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है। प्रमाणित प्रति इंतकाल सं. 592 सलंगन अपील मीमो है।
2. यह कि रोही मौजा चक 11 जे.जी.डब्ल्यु. की 2.024 है० में 1/8 हिस्सा व 10 जेएसएल की 2.530 है० में 1/8 हिस्सा, 6 जेएमएल की 0.506 है० में 1/8 हिस्सा व जे.जी.डब्ल्यु. की 25.806 में 255 हिस्सा भूमि की वसीयत गुगन पुत्र पेमाराम जाट रेसपो. सं. 1 व 2 के पक्ष में करवा दी थी व गुगन राम लावल्द फौत हो चुका था। इस बाबत एक अर्जीदावा उपखण्ड अधिकारी के यंहा इस्तकारार हक व दुरुस्ती पेश होने पर प्रकरण तहसीलदार भादरा को प्राप्त हुआ। तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 01.07.2009 के मुताबिक वसीयत के अनुसार इंतकाल दर्ज करने के आदेश हुए।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

3. यह कि विचारज न्यायालय तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2009 को पप्पु पुत्र लिछमण जाति जाट (रेस्पों. सं. 17) के विरुद्ध माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में बअनवानी पप्पू बनाम मांगेराम आदि अपील प्रस्तुत की गई जो बाद सुनवाई दिनांक 17.06.2013 को इस आशय के साथ रिमाण्ड की गई की अपीलांट पप्पू पुत्र लिछमण प्रभावित पक्षकार है एवं अधीनस्थ न्यायालय को वैध उत्तराधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के उल्लंघन में पारित किया जिसे किसी प्रकार से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2009 को निरस्त कर दिया है एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने के आदेश पारित किये जाये। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय सलग्न अपील मिमो है।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) भादरा में अपील सं. 41/11 रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये एवं जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैतृक कृषि भूमि की वसीयत होना माना एवं नोटिरियल रजिस्टर की फोटो प्रति का अवलोकन कर पाया कि गुगन वसीयतकर्ता द्वारा एक ही दिन दिनांक 10.07.1995 को क्रमांक 519 पर वसीयत करवा दर्ज है एवं क्रमांक 520 पर 20,000 रुपये प्राप्त कर इकरारनामा किया है इससे भी वसीयतकर्ता ने दबाव या किसी बहकावे में यह दोहरे दस्तावेज तैयार किये प्रतीत है जो प्रभाव से ही शुन्य एवं वसीयतकर्ता द्वारा की गई वसीयत वैध नहीं होने के कारण प्रभाव शुन्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.04.2014 में जायज वारिसान के अनुसार विरासतन में बनने वाले हिस्से के अनुरूप इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये।
5. यह कि वर्तमान इंतकाल सं. 592 दिनांक 29.10.2009 का मूल आधार तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा पारित दिनांक 01.07.2009 था जिसे माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय नोहर द्वारा खारिज किया जा चुका है एवं तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2014 आज तक यथावत है उक्त प्रास्थिति से पूर्णतया स्पष्ट है कि वर्तमान इंतकाल सं. 592 दिनांक 29.10.2009 प्रारम्भ से ही शुन्य इंतकाल है एवं जिसका

अतिरिक्त
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2013 एवं तहसीलदार राजस्व भादरा के निर्णय दिनांक 21.04.2014 के पश्चात राजस्व अभिलेख में अंकित रहने का कोई युक्ति युक्त न्यायोचित एवं विधिक आधार नहीं है एवं उक्त इंतकाल सं. 592 दिनांक 29.10.2009 पर वर्तमान जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टिया स्पष्टतः गलत एवं फोरी प्रविष्टिया है जिन्हे अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर एवं तहसीलदार भादरा के निर्णय के आधार पर हटाया जाना न्यायोचित है।

6. यह कि इंतकाल सं. 592 दिनांक 29.10.2009 विद्वान तहसीलदार भादरा द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय दिनांक 01.07.2009 के आधार पर तस्दीक हुआ था किन्तु उपरोक्त निर्णय माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय नोहर द्वारा खारिज किया जा चुका है एवं तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा दिनांक 21.04.2014 को विरासतन आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये जा चुके हैं परन्तु इंतकाल सं. 792 दिनांक 29.10.2009 खारिज होने के पश्चात ही उपरोक्त निर्णय की पालना होने के पश्चात ही उपरोक्त निर्णय की पालना की जा सकती है इसलिए वर्तमान में उक्त प्रास्थिति के कारण आपेक्षित इंतकाल स्वतः ही शून्य हो चुका है उक्त इंतकाल को चुनौति देने में परिसीमा अवधी कहीं आडे नहीं आती है फिर भी तकनीकी त्रुटियों से बचने हेतु धारा-5 परिसीमा अधिनियम प्रश्नगत अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. यह कि रेस्पो. सं. 4 ता 25 के हित समान है तथा उन्हे बतौर तरतीबी रेस्पो. प्रास्थापित किया गया है एवं इनके खिलाफ किसी प्रकार की रिलिफ नहीं चाही गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन इंतकाल 592 दिनांक 29.10.2009 चक 10 जेएसएल वसीयत के आधार पर रेस्पो. सं. 1 व 2 के पक्ष में दर्ज कर तस्दीक किया गया था। एक वाद इस्तकरार व दुरुस्ती उपखण्ड कार्यालय में पेश हुआ जो बाद सुनवाई निर्णय किया जाकर तहसीलदार भादरा को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार भादरा ने मुताबिक वसीयत के निर्णय कर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिए। तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध रेस्पो. सं. 17 पप्पु पुत्र लिछमण ने एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में प्रस्तुत की जो बाद सुनवाई इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि वैध उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा ने रिमाण्ड प्रकरण में निर्णय पारित कर वसीयत को शुन्य घोषित करते हुए जायज वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिए गए थे परन्तु तहसीलदार के निर्णय की पालना आदिनांक तक नहीं हुई। पूर्व इंतकाल 592 जो शुरू से ही शुन्य है परन्तु आदिनांक उक्त इंतकाल यथावत है जिसको तहसीलदार के निर्णय अनुसार हटाया जाना न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल सं. 592 दिनांक 29.10.2009 खारिज फरमावें। उक्त इंतकाल के विरुद्ध कोई अपील/स्थगन नहीं है।


रेस्पों. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त इंतकाल तहसीलदार के निर्णय दिनांक 21.04.2014 से खारिज हो चुका है। खारिज किये गये इंतकाल की पुनः अपील प्रस्तुत की गई है जो विधि सम्मत नहीं है ना ही उक्त इंतकाल के बारे में इस न्यायालय से कोई आदेश पारित किये जाने है। अपील विधि विरुद्ध पेश की गई है जो संधारण योग्य नहीं है, खारिज फरमावें।

हमने बहस सुनी। पत्रावली एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। यह सही है कि तहसीलदार द्वारा वसीयत का निर्णय दिनांक 21.04.2014 को पारित करते हुए वसीयत को शुन्य घोषित किया गया है व जायज वारिसान के नाम से इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। किन्तु उक्त आदेशों की पालना में आज तक इंतकाल खारिज नहीं किये गये, जिससे अपीलांट के हक प्रभावित होते हैं।

अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को आदेश दिए जाते हैं कि अगर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदि ना हो तो वे अपने निर्णय दिनांक 21.04.2014 अनुसार इंतकाल खारिज कर पुनः जायज वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज किये जावें।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोहर (दुमनागढ़)
नोहर